

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मई 2024—वैशाख 23, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

क्र. CT-8-0002-2024-Sec-1-पांच-(CT) (12).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (इसके पश्चात् इस अधिसूचना के उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. CT-8-0002-2024-Sec-1-पांच-(CT) (03), तारीख 19 जनवरी, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2024 शब्दों और अंकों के स्थान पर “15 मई, 2024” शब्द और अंक रखे जाएंगे.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

क्र. CT-8-0002-2024-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0002-2024-Sec-1-पांच-(CT) (12), दिनांक 13 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2024

No. CT-8-0002-2024-Sec-1-V-(CT)(12).—In exercise of the power conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Madhya Pradesh Government's Notification No. CT-8-0002-2024-Sec-1-V(CT) (03), dated 19th January 2024, namely:—

In the said notification, in para 4, for the words and letters “1st day of April, 2024” the words and letters “15th day of May, 2024” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 1st day of April, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.